न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 198 / 2016

उनवान

1. किशन लाल पुत्र हरनारायण दरोगा (हजूरी) निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा हाल निवासी बी एस एल मिल के पीछे मीरानगर, पुलिस लाईन रोड, भीलवाड तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमान सिंह खींची पुत्र स्व0 प्रभू सिंह खींची निवासी बडा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाडा
2. घनश्याम सिंह खींची पुत्र स्व0 प्रभू सिंह खींची निवासी बडा महुआ तहसील एवं जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 82 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.5.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री राजेन्द्र तम्बोली अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद महुआ कलॉ पटवार हल्का महुआ कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाडा की खतौनी नम्बर 101 में आराजी नम्बर 455 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वादी के खातेदारी हक अधिकार की होकर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादी काबिज होकर उसका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है जो वादी की उक्त भूमि को हडप करना चाहते है व अपना कब्जा करना चाहते हैं इसी गरज से आये दिन वादी की भूमि में कब्जा करने का प्रयास करते हैं व लडाई झगडा करते हैं व वादी की भूमि में दखलंदाजी पैदा करते हैं जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 12 जुलाई 2015 को वादी वादग्रस्त आराजियात पर ही था कि प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर आये व वादी की उक्त आराजी से वादी को जबरन बेदखल करने लगे जिस पर वादी काबिज है। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हुए एवं जाते–जाते प्रतिवादीगण धमकी देकर गये कि वे किसी भी वक्त वापस आयेंगे तथा वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करेंगें एवं जबर कब्जा करके ही रहेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर देते हैं व किसी प्रकार का निर्माण कर देंतें हैं तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

2. अतःबहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम महुआ कला की आराजी नम्बर 455 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर वादी को बेदखल नहीं करें तथा वादी को वादग्रस्त आराजी से शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करें एवं न ही किसी अन्य से करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय करते हुए वादी को पाबन्द किया कि वे वादग्रस्त आराजी नम्बर 455 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का करीब 25 वर्ष से कब्जा होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जेकाश्त में दखल नही करें। जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण एवं स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये बिना प्रकरण के तथ्यों पर गौर किये, व बिना अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुए अपीलार्थी द्वारा अपनी क्रयसुदा भूमि व खातेदारी भूमि जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने पर आमादा होकर वादगण को बेदखल करने पर आमादा होने की स्थिति में अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अधिनस्थ न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया । अपीलार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदार को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का गलत कब्जा मानते हुए पाबन्द किया है। जो कि कानून की मंशा नहीं है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय विधि व तथ्यों से परे जाकर पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी को राजस्व लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए थे। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया था। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 जो कि स्थानीय व्यक्ति है तथा अपीलार्थी जो कि अलग गांव का व्यक्ति है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारी पटवारी से मिलीभगती अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में कर गलत रिपोर्ट तैयार करवा कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में न तो काउण्टर वाद पेश किया एवं न ही निर्णय का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद मांगी गई , फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जो कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी करने पर आमादा हो रहे हैं बाबत वाद पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी वादी के पक्ष में निर्णय पारित नहीं करं उल्टा वादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

9. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है। जबकि वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किये एवं तनकीवाईज निर्णय पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने एवं वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

10. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी ।

11. हमनें अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद महुआ कलॉ पटवार हल्का महुआ कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाडा की खतौनी नम्बर 101 में आराजी नम्बर 455 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वादी के खातेदारी हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज है। जिस पर वादी काबिज होकर उसका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने नाजायज गिरोह बना रखा है जो वादी की उक्त भूमि को हडप करना चाहते है व अपना कब्जा करना चाहते हैं इसी गरज से आये दिन वादी की भूमि में कब्जा करने का प्रयास करते हैं व लडाई झगडा करते हैं व वादी की भूमि में दखलंदाजी पैदा करते हैं जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। दिनांक 12 जुलाई 2015 को वादी वादग्रस्त आराजियात पर ही था कि प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ व्यक्तियों को लेकर आये व वादी की उक्त आराजी से वादी को जबरन बेदखल करने लगे जिस पर वादी काबिज है। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण मानने को तैयार नहीं हुए एवं जाते–जाते प्रतिवादीगण धमकी देकर गये कि वे किसी भी वक्त वापस आयेंगे तथा वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल करेंगें एवं जबर कब्जा करके ही रहेंगे। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आधार पर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम महुआ कला की आराजी नम्बर 455 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा से या उसके किसी भू भाग से जबरन शक्ति के बल पर वादी को बेदखल नहीं करें तथा वादी को वादग्रस्त आराजी से शांतिपूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करें एवं न ही किसी अन्य से करावें, मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 3.8.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने के निर्देश के साथ आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.8.2015 नियत की गई। उसके उपरान्त प्रकरण में दिनांक 17.8. 2015, 19.10.2015, 16.11.2015, 28.12.2015 की तारीख पेशी पर अधिवक्ता वादी की उपस्थिति दर्ज की गई एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 28.12. 2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.3.2016 नियत की गई। उक्त नियत तारीख पेशी दिनांक 28.3.2016 की आदेशिका में ''तामील जारी हो'' का अंकन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह तथ्य जाहिर नहीं आया है कि प्रकरण में किस–किस प्रतिवादीगण की तामील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हो चुकी है एवं किस प्रतिवादी के लिए नोटिस जारी किया जाना है।

12. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया हनुमान सिंह प्रतिवादी संख्या 1 को जारी नोटिस की पुश्त पर धनराज नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है। धनराज प्रतिवादी हनुमान के रिश्ते में क्या लगता है इस बाबत कोई अंकन उक्त नोटिस की पुश्त पर मांगू नामक तामील कुनिन्दा द्वारा नहीं किया गया है। घनश्याम सिंह प्रतिवादी संख्या 2 को जारी नोटिस की पुश्त पर भी धनराज के ही हस्ताक्षर है इस नोटिस की पुश्त पर भी तामील कुनिन्दा ने घनश्याम सिंह के साथ धनराज का क्या संबंध है इसका कोई अंकन नही किया गया है । दिनांक 28.3.2016 की आदेशिका में ''तामील जारी हो'' का अंकन किया गया है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.3.2016 नियत की गई है। नियत दिनांक 18.3..2016 को पत्रावली मे कोई आदेशिका अंकित नहीं की गई हैं । इसके उपरान्त प्रकरण को सीधे ही दिनांक 18.5.2016 को कोर्ट केम्प महुआ कलॉ में नियत की गई।

13. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प महुआ कलॉ में नियत किये जाने से पूर्व नियमानुसार उभयपक्ष को विधिवत नोटिस जारी कर उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिये । अपीलाधीन प्रकरण में प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में रखे जाने से पूर्व जो सूचना पत्र/नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस हनुमान सिह प्रतिवादी संख्या 2 का संलग्न है जिसकी पुश्त पर हनुमान सिंह के हस्ताक्षर है। इसके अलावा अन्य प्रतिवादी का कोई नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादी को जारी नोटिस की प्रति भी उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

को राजस्व लोक अदालत में नियत किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक, व पटवार हल्का द्वारा दिनांक 18.5.2016 को तैयार की गई है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्रतिवादी / प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रकरण में कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं न ही कोई काउण्टर क्लेम ही प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा होने का कथन किया हो। उसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा कोई उजर उठाये बगैर ही वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा मानकर दखलन्दाजी करने से पाबन्द किया है। जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

14. अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.5.2016 पर प्रतिवादीगण के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर हैं परन्तु वादी के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही वादी को लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने बाबत बाद तामील कोई नोटिस ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय की पालना में वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. हमनें पत्रावली का आद्योपान्त निरीक्षण किया तथा प्रस्तुत बहस के क्रम में अपीलाधीन आदेश का विवेचन किया। आदेश दिनांक 18.5.2016 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कोर्ट कैम्प महुआ कलॉ पर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उपस्थिति बताई गई है परन्तु वादी के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं होने से वादी को सुना जाना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं माना जा सकता है । मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं उनके पक्ष में चांद देवी, व प्रेम के बयान तथा वक्त कैम्प भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था। जिसके तहत तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जाकर ही कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। परन्तु अपीलाधीन आदेश में विधिक प्रकियाओं की सम्यक पालना नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है। प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कोई काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में प्रतिवादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी को पाबन्द किया जाना किसी भी स्थिति में विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में चाहे गये अनुतोष की हद से बाहर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं है।

16. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.19 को उपस्थित रहें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. निर्णय आज दिनांक 25.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा